



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

नई दिल्ली - ११००६७  
NEW DELHI - 110067

डा. प्रमोद कुमार

कुलसचिव

Dr. Pramod Kumar

Registrar

सं. 01 / कोरोना (कोविड -19) / विविध / 2020

दिनांक: 29 जुलाई, 2020

परिपत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के एसडीएम कार्यालय (वसंत विहार), जिला-नई दिल्ली, छठा तल, पालिका भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली से जारी दिनांक 27.07.2020 के आदेश संख्या: एसडीएम/वीवी/कोविड-19/2020/444 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर के सभी भागों से कोविड-19 के सकारात्मक मामलों का पता लगा है।

विश्वविद्यालय में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के ध्यानार्थी रेपिड रेस्पांस टीम ने दिनांक: 24 जुलाई, 2020 को विश्वविद्यालय का दौरा किया था। सरस्वतीपुरम, पूर्वांचल, पश्चिमाबाद और दक्षिणपुरम प्रभावित क्षेत्र थे। सरस्वतीपुरम में ब्लॉक नंबर-2 (821 से 828), ब्लॉक नंबर-5 (735 से 740) ब्लॉक नंबर-6 (709 से 714) ब्लॉक नंबर-7 (729 से 734) में मामलों की अधिकतम गुच्छन (क्लस्टरिंग) देखी गई। अतः इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है तथा किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष निवासियों के लिए भी गैर-जरूरी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कोरोना विषाणु (कोविड-19) की इस श्रृंखला को तोड़ने तथा इसके प्रसार को कम करने/रोकने के लिए उपरोक्त एहतियाती उपाय दिनांक: 11.08.2020 तक लागू रहेंगे।

ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य जो होम क्वेरांटाइन में हैं और / या जिनके घर में सक्रिय मामले हैं, उन्हें आवश्यक सेवाओं / खाद्य पदार्थों आदि की सुविधा दी जा सकती है। यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया दूरभाष नंबर- 011-26704029, 8130573744 पर संपर्क करें।

उपरोक्त के ध्यानार्थ, परिसर के सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र में उल्लिखित निम्नलिखित एहतियाती उपायों का पालन करें:-

1. उचित सामाजिक दूरी और फेस मास्क तथा अन्य सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग करें।
2. कैम्पस में अनावश्यक रूप से न टहलें और घर पर सुरक्षित रहें।
3. कैम्पस में दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करने से बचें।
4. परिसर में सामूहिक सभाओं से बचें।
5. परिसर में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने घरों के अंदर ही रहें।
6. परिसर के निवासी सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें।
7. सभी व्यक्ति बाजार में सामाजिक दूरी का पालन करें और आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे।

8. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, बुखार आदि का कोई लक्षण महसूस हो या वह किसी अन्य स्थान से लौटकर आए हों तो वह स्वयं को 07 दिन तक एकान्तवास में रखें तथा इसकी जानकारी विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र, सुरक्षा विभाग, और प्रशासन को टेलीफोन न. **011-26741636**, अथवा सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को फोन न. **011-26704029** अथवा प्रशासन को फोन न. **011-26704008** (सुबह 09 बजे से शाम 5 बजे तक), **011-26704752 (24x7)** पर दें किसी भी आपातकाल की स्थिति में किसी अन्य दिशानिर्देश के लिए परिसर के अन्दर सीजीएचएस डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निजी रूप से या फोन से संपर्क करें अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन **011-23978046** पर **24X7** संपर्क करें।



(प्रमोद कुमार)  
कुलसचिव

सभी संबंधित:

1. कुलपति/कुलदेशिक-I,III/कुलसचिव के निजी सचिव
2. डीन (छात्र)
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केंद्र, जेएनयू
4. जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ सहायक कुलसचिव (संपदा)
5. संबंधित फाइल/ मास्टर फाइल